भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी वकास और गंगा संरक्षण वभाग

लोक सभा

अतारां कत प्रश्न संख्या **4423**

जिसका उत्तर **27** मार्च, 202**5** को दिया जाना है।

.....

राजस्थान में प्रधानमंत्री कृ ष संचाई योजना की उपलब्धियां और प्रगति

4423. श्री मुरारी लाल मीनाः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

(क) प्रधानमंत्री कृ ष संचाई योजना (पीएमकेएमवाई) के अंतर्गत राजस्थान के दौसा जिले सहित व भन्न राज्यों में अब तक कतना लक्ष्य प्राप्त कया गया है;

(ख) क्या सरकार इस बात को स्वीकार करती है क राजस्थान जैसे जल संकटग्रस्त राज्यों में खेतों में पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित करना एक चुनौती है और यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस मुद्दे के समाधान और राजस्थान में कसानों को राहत प्रदान करने के लए कोई वशेष रणनीति अपनाई गई है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई वशेष योजनाएं बनाई गई हैं और यदि हां, तो दौसा जिले सहित राजस्थान में इनके कार्यान्वयन, वत्तीय प्रावधानों और वर्तमान प्रगति की स्थिति क्या है; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत वशेषकर दौसा जिले में कसानों को प्रदान की जा रही सहायता और संसाधनों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (घ)**:** प्रधान मंत्री कृ ष संचाई योजना (पीएमकेएसवाई) एक अम्ब्रेला योजना है, जिसमें जल संसाधन, नदी वकास और गंगा संरक्षण वभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दो प्रमुख घटक कार्यान्वित कए जाते हैं नामतः - त्वरित संचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और हर खेत को पानी (एचकेकेपी) हैं। जब क एचकेकेपी, में चार उप-घटक शा मल हैं: (i) कमांड क्षेत्र वकास और जल प्रबंधन (सीएडी और डब्ल्यूएम); (ii) सतही लघु संचाई (एसएमआई); (iii) जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर); एवं (iv) भूजल वकास। वर्ष 2016 में संशो धत एआईबीपी प्रारूप के लॉंच होने के साथ, एचकेकेपी के सीएडी एवं डब्ल्यूएम उप-घटक को एआईबीपी के पारी-पासू कार्यान्वयन के लए लया गया है।

पीएमकेएसवाई के कार्यान्वयन की मंजूरी के दौरान वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक, पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के तहत भूजल घटक की मंजूरी केवल प्रतिबद्ध देनदारियों के लए की गई थी। इसके अलावा, प्रति बूंद अ धक फसल घटक, जो पहले पीएमकेएसवाई का एक घटक था, इसे अब राष्ट्रीय कृ ष वकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत कृ ष एवं कसान कल्याण वभाग द्वारा

अलग से कार्यान्वित कया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, पीएमकेएसवाई का वॉटरशेड वकास घटक (डब्ल्यूडीसी) भू म संसाधन वभाग द्वारा कार्यान्वित कया जा रहा है।

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत राजस्थान सहित भारत के जल संकट से प्रभा वत सूखा प्रवण क्षेत्रों में संचाई की समस्या को संबो धत करने के लए, वशेष प्रावधानों को, परियोजनाओं के चयन के लए मानदंडों और केंद्रीय फं डंग अनुपात में बनाया गया है। यदि कसी परियोजना का 50% से अ धक भूभाग सूखा प्रवण क्षेत्र में है तो 50% अ ग्रम स्तर मानदंड को लागू कए जाने से छूट प्रदान की गई है और उस परियोजना को उसके निर्माण की शुरुआत से बढ़ी हुई फं डंग के साथ शा मल कया जा सकता है।

राजस्थान की 03 परियोजनाएँ, नामतः नर्मदा नहर परियोजना, गंगा नहर परियोजना का आधुनिकीकरण और परवन बहुउद्देशीय संचाई परियोजना को पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत शा मल कया गया है। अप्रैल 2016 से इन परियोजनाओं के तहत 16.38 हजार हेक्टेयर संचाई क्षमता का निर्माण कया गया है और 82.47 हजार हेक्टेयर का कमांड क्षेत्र वक सत कया गया है। हालाँ क, राजस्थान का दौसा जिला इन परियोजनाओं से लाभान्वित नहीं हो रहा है।

पीएमकेएसवाई के पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी-आरआरआर घटक के तहत, राजस्थान में 15.33 हजार हेक्टेयर संचाई क्षमता का सृजन कया गया है। पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी-आरआरआर के अंतर्गत दौसा जिले की 167 हेक्टेयर संचाई क्षमता वाली एक जल निकाय की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार कार्य पूरा कर लया गया है।

इसके अलावा, पीएमकेएसवाई 2.0 के डबल्यूडीसी घटक के तहत, राजस्थान के दौसा जिले में 21,426 हेक्टेयर क्षेत्र की 04 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जब क पीडीएमसी के तहत, दौसा जिले में 10,490 हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म संचाई के तहत कवर कया गया है।

पीएमकेएसवाई के व भन्न घटकों के तहत व भन्न राज्यों में हा सल कए गए लक्ष्यों का ववरण अनुलग्नक में है।

जल संसाधन, नदी वकास और गंगा संरक्षण वभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित पीएमकेएसवाई घटकों के तहत राज्य/परियोजना प्रा धकरण को केंद्रीय सहायता प्रदान की जा रही है। हालाँ क, पीडीएमसी के तहत सरकार, छोटे और सीमांत कसानों को 55% की दर से और अन्य कसानों को 45% की दर से ड्रप और स्प्रिंकलर सस्टम स्था पत करने के लए वत्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रत्येक कसान को 5 हेक्टेयर तक के लए सब्सिडी सहायता मलती है। लाभार्थी, सूक्ष्म संचाई स्था पत करने के लए सात वर्षों के बाद, उसी भू म पर फर से सब्सिडी हेतु पात्र हो जाते हैं।

*****

अनुलग्नक

"राजस्थान में प्रधानमंत्री कृ ष संचाई योजना की उपलब्धियां और प्रगति" के संबंध में दिनांक 27.03.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारां कत प्रश्न संख्या 4423 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लि खत अनुलग्नक।

क. पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के तहत वर्ष **2016-17** से वर्ष **2023-24** के दौरान राज्यवार संचाई क्षमता सृजन/कमांड क्षेत्र वकास

क्षेत्र हजार हेक्टेयर में

क्र. सं.	राज्यों का नाम	पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत नि र्मत संचाई क्षमता (आईपी)	सीएडी एवं डबल्यूएम के अंतर्गत वक सत हुआ कमांड क्षेत्र	पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी-एसएमआई के तहत सृजित आईपी	पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी-आरआरआर के तहत सृजित आईपी	जीडबल्यू के तहत सृजित आईपी
1	आंध्र प्रदेश	24.33	0.93	0.00	0.00	-
2	अरूणाचल प्रदेश	--	--	17.86	--	3.742
3	असम	36.55	25.40	116.44	--	38.648
4	बिहार	19.69	19.13	33.8	21.79	-
5	छत्तीसगढ़	16.76	8.78	4.87	0.00	-
6	गोवा	4.24	6.70	--	--	-
7	गुजरात	610.90	1,030.54	--	3.90	1.866
8	हिमाचल प्रदेश	0.66	--	22.57	--	-
9	केन्द्र शा सत प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर	6.52	2.28	33.1	--	-
10	यू.टी. लद्दाख	0.00	--			-
11	झारखंड	79.80	0.00	6.09	--	-
12	कर्नाटक	115.86	42.08	3.48	--	-
13	केरल	2.59	1.50	--		-
14	मध्य प्रदेश	182.94	289.11	31.83	8.00	-
15	महाराष्ट्र	385.96	218.78	--	--	-
16	म णपुर	24.46	8.67	17.93	0.62	2.057
17	मेघालय	--	--	26.47	0.88	-
18	मजोरम	--	--	1.93	--	0.553
19	नागालैंड	--	--	12.84	--	0.667
20	ओ डशा	87.44	85.49	--	27.92	-
21	पंजाब	34.99	73.53	--	--	-
22	राजस्थान	16.38	82.47	--	15.33	-
23	सक्किम	--	--	4.18	--	-
24	त मलनाडु	5.23	--	--	12.27	0.610
25	तेलंगाना	189.52	10.68	--	16.31	-
26	त्रिपुरा	0.00	--	0.00	--	3.009
27	उत्तर प्रदेश	766.93	21.71	--	2.35	36.365
28	उत्तराखंड	0.00	--	21.27		1.030

	कुल	**2611.75**	**1927.77**	**354.66**	**109.37**	**88.547**

ख. पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी और डब्ल्यूडीसी के तहत राज्यवार प्रगति

(क्षेत्र लाख हेक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य	पीडीएमसी के माध्यम से सटीक संचाई के तहत क्षेत्र	पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी के अंतर्गत कवर कया गया परियोजना का क्षेत्र
1	आंध्र प्रदेश	8.37	4.25
2	अरुणाचल प्रदेश	0.13	1.98
3	असम	0.45	2.94
4	बिहार	0.25	2.33
5	छत्तीसगढ़	1.40	3.70
6	गोवा	0.008	0.20
7	गुजरात	9.74	6.03
8	हरियाणा	1.75	0.67
9	हिमाचल प्रदेश	0.076	1.38
10	झारखंड	0.36	2.39
11	जम्मू एवं कश्मीर	0.01	1.30
12	कर्नाटक	19.41	5.47
13	केरल	0.05	0.68
14	मध्य प्रदेश	3.31	8.03
15	महाराष्ट्र	9.90	10.39
16	ओ डशा	1.24	4.64
17	पंजाब	0.14	0.60
18	राजस्थान	7.67	13.27
19	त मलनाडु	11.03	2.72
20	तेलंगाना	2.88	2.87
21	उत्तराखंड	0.32	1.05
22	उत्तर प्रदेश	3.92	5.69
23	पश्चिम बंगाल	1.05	1.98
24	म णपुर	0.15	1.08
25	मेघालय	0.00	0.86
26	मजोरम	0.046	0.87
27	नगालैंड	0.25	0.80
28	सक्किम	0.15	0.27
29	त्रिपुरा	0.045	0.53
30	लद्दाख	0.00	0.26
	कुल योग	**84.11**	**89.23**

*****